



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-13032026-270939
CG-RJ-E-13032026-270939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 1249]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 12 मार्च, 2026

का.आ. 1306(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा-20 क की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपावद्ध अनुसूची में दिया गया है राजस्थान राज्य के चूरु जिला में "चुरू बाईपास" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और परिचलन के लिये अपेक्षित है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30)दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा - 20 घ की उपधारा (1)के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट - चुरू जिला चूरु राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षा कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा-20 घ की उपधारा (2)के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में "चुरु बाईपास" की विशेष रेल परियोजना हेतु (चुरु उपखण्ड के लिये) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं०	उपखण्ड/ तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे /खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)
1	चुरु	चुरु	3042/3039	निजी	बारानी	3.9205	0.5751
			2104/1898	निजी	बारानी	2.7948	0.1560
			2757/1107	निजी	बारानी	3.6675	0.3886
			1772/1104	निजी	बारानी	0.4805	0.1015
			1124	निजी	बारानी	4.2745	0.2552
			2690/1118	सरकारी	गै.मु.सडक	0.0885	0.0247
			1103	निजी	बारानी	0.9611	0.2010
2	खासोली		80	निजी	बारानी	0.8726	0.1077
			1577/79	निजी	बारानी	1.7178	0.0314
			1578/79	निजी	बारानी	0.4827	0.0360
			1575/1542	निजी	बारानी	0.8260	0.0023
कुल क्षेत्रफल						1.8795	

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 12th March, 2026

S.O. 1306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, "Churu bypass" in District Churu the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Churu Rajasthan, in writing and shall set out the ground thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after

making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely "Churu byPass" (For Churu Sub Division) in the State of Rajasthan, District-Churu

S.No.	Name of the Sub Division/Tehsil	Name of the Village	Survey/Khasra No.	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hactare)	Area to be acquire (in hectare)
1	Churu	Churu	3042/3039	Private	Barani	3.9205	0.5751
			2104/1898	Private	Barani	2.7948	0.1560
			2757/1107	Private	Barani	3.6675	0.3886
			1772/1104	Private	Barani	0.4805	0.1015
			1124	Private	Barani	4.2745	0.2552
			2690/1118	Government	Gai.Mu Road	0.0885	0.0247
			1103	Private	Barani	0.9611	0.2010
2	Churu	Khasoli	80	Private	Barani	0.8726	0.1077
			1577/79	Private	Barani	1.7178	0.0314
			1578/79	Private	Barani	0.4827	0.0360
			1575/1542	Private	Barani	0.8260	0.0023
Total Acquired land							1.8795

[F. N. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)